

प्रेषक,

सचिव,

प्रवेश और फीस नियमन समिति,

बाँसमण्डी चौराहा, चारबाग,

लखनऊ।

सेवा में,

1. निदेशक,

प्राविधिक शिक्षा,

उ०प्र०, कानपुर।

2. कुलसचिव,

डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,

उ०प्र० लखनऊ।

3. सचिव,

प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक 116-19/प्रफीनिस/वेब०अनु०/2016

लखनऊ:दिनांक 7 नवम्बर, 2016

विषय निजी क्षेत्र में स्थापित डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण/व्यावसायिक संस्थाओं में समिति द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित मानक शुल्क को तथा इन संस्थाओं के शुल्क सम्बंधी निर्देशों को वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बंध में अवगत कराना है कि प्रवेश और फीस नियमन समिति की दिनांक 17.10.2016 की आहूत बैठक में वर्ष 2017-18 हेतु निजी संस्थानों में मानक शुल्क निर्धारित किया गया है तथा निजी संस्थाओं के शुल्क के सम्बंध में निर्णय लिया गया है, जो इस आशय से संलग्न है कि कृपया अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

A/R/F.C.

हो शीत लिगरी संस्थाओं में
प्रमुख निदेश प्रेषित अंत।
संख्या एवं दिनांक तदैव:- 7/11/16

भवदीय

(डा०वी०एस०सिंह)
सचिव

प्रतिलिपि निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को प्रमुख सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।

J. Singh
7/11/2016

(डा०वी०एस०सिंह)
सचिव

प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश
प्राविधिक शिक्षा विभाग
संख्या-1157/प्र0फी0नि0स0/2016
लखनऊ दिनांक 7 नवम्बर, 2016

कार्यालय आदेश

1. उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) नियमावली 2015 अधिनियम 2006 की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/सोलह-1-14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. नियमावली -2015 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2017-18 से मानक शुल्क निर्धारित किया जाना है। प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

(क) निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं हेतु-

| समूह | पाठ्यक्रमों का नाम | मानक शुल्क (रुपया) |
|------|---|--------------------|
| एक | बी0टेक0 / बी0आर्की0 / बी0फार्मा0 / बी0एफ0ए0 / बी0एफ0ए0डी0 | 55,000.00 |
| दो | बी0एच0एम0सी0टी0 | 73,000.00 |
| तीन | एम0बी0ए0 / एम0सी0ए0 / एम0टेक0 / एम0फार्मा0 / एम0आर्च0 | 58,000.00 |

(ख) निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क

| क्रमांक | पाठ्यक्रम की अवधि | निर्धारित शुल्क |
|---------|--|-----------------|
| 1 | तीन वर्षीय इंजीनियरिंग/फार्मसी तथा होटल मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम | रु0 30000.00 |
| 2 | दो एवं एक वर्षीय सभी अन्य पाठ्यक्रम | रु0 21500.00 |

(ग) सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क

| क्रमांक | पाठ्यक्रम की अवधि | निर्धारित शुल्क |
|---------|------------------------|-----------------|
| 1 | समस्त पाठ्यक्रमों हेतु | रु0 19000.00 |

3. जो संस्थाएँ उपरोक्त निर्धारित मानक फीस को स्वीकार करना चाहती हैं वे समिति की वेबसाइट www.afrcup.in पर अपना ऑन लाइन आवेदन/स्वीकृति पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध करायेगी।

4. ऐसी संस्थायें जो उक्त निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती हैं, वे उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015 के विनियम-4 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 तक अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, लेखा विवरण एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित वेबसाइट www.afrcup.in पर प्रस्तुत करते हुए उसकी एक प्रति समिति कार्यालय (सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति बासमण्डी चौराहा चारबाग, लखनऊ) को उपलब्ध करायें।

5. समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि मानक शुल्क से सहमति अथवा असहमति की स्थिति में अपना विकल्प आवेदन के माध्यम से देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका शुल्क निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं होगा।

मोनिका एस0गर्ग
प्रमुख सचिव/अध्यक्ष

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) निदेशक/प्राचार्य, उ0प्र0 में संचालित निजी क्षेत्र के डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय समस्त अभियन्त्रण एवं व्यवसायिक संस्थान।
- (2) कुलसचिव ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (3) उपसचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
- (4) प्रमुख सचिव, सचिव, समाज कल्याण, पिछडा वर्ग एवं अल्प संख्यक विभाग।
- (5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(डा0 वी0एस0 सिंह)
सचिव